निविदा सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश,कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय,कानपुर देहात परिसर स्थित माती के दक्षिणी–पूर्वी कोने की ओर स्थित साइकिल स्टैण्ड एवं दक्षिणी–पश्चिमी कोने की ओर स्थित जलपान गृह एवं तीन दुकानों के नीलमी हेतु प्रकिया वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु दिनांक– 13.03.20 को समय 4.00 बजें दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात केन्द्रीय नजारत के समक्ष की जायेगी।

निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त 1.साइकिल स्टैण्ड,2. जलपान गृह,3.स्टेशनरी शाप, 4.फोटोकापी शाप एवं 5. टाइपिंग शाप की स्थिति एवं क्षेत्रफल का निरीक्षण कर सील बन्द निविदा प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भाग ले सकते है–

निविदा की शर्ते व नियम

1. ठेके देने की प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार /सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना हैसियत प्रमाण पत्र केन्द्रीय नाजिर, दीवानी न्यायालय कानपुर देहात को प्रस्तुत करना होगा।
2. दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के साइकिल स्टैण्ड, जलपान गृह, स्टेशनरी, फोटोकापी एवं टाइपिंग शाप का उपयोग केवल उपरोक्त के लिए किया जायेगा किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
3. दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के साइकिल स्टैण्ड, जलपान गृह, स्टेशनरी, फोटोकापी एवं टाईपिंग शाप को ठेके पर उठाने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित के सम्मुख अंकित धनराशि का बैक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। जो श्रीमान जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात के नाम देय होगा।

   1.**साइकिल स्टैण्ड:**–सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि रू0–30,000/–।

   2.**जलपान गृह:**–सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि रू0–20,000/–।

   3.**स्टेशनरी शाप:**–सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि रू0–10,000/–।

   4.**फोटोकापी शाप:**–सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि रू0–10,000/–।

   5.**टाईपिंग शाप:**– सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि रू0–10,000/–।

4. निविदा के साथ उपरोक्त धनराशि की डी0डी0 जमा करनी होगी। डी0डी0 न होने पर निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. प्रकिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो तथा उसका कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा दीवानी न्यायालय कानपुर देहात में लम्बित नहीं होना चाहिए। इस बावत अपना नोटरी शपथपत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
6. स्वीकृति निविदा के उपरान्त निविदादाता को उक्त राशि का चौथाई तुरन्त जमा करना होगा, और शेष धनराशि 06.04.20 तक जमा करना होगा। डी0डी0 की धनराशि कुल राशि में समायोजित की जाएगी।

7. स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी निविदा स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत ठेके की 1/4 धनराशि तुरन्त एकमुश्त जमा नहीं करने पर उसकी डी0डी0 की राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जायेगी।
8. ठेके की अन्तिम स्वीकृति श्रीमान जनपद न्यायाधीश,कानपुर देहात महोदय द्वारा की जायेगी।
9. निविदा प्रकिया बिना कोई कारण बताए स्थगित या अस्वीकृत माननीय जनपद न्यायाधीश,कानपुर देहात द्वारा की जा सकती है।
10. उपरोक्त दुकानों के उपयोग की अवधि दिनांक–31.03.2021 को स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद तुरन्त सम्बन्धित अध्यासी द्वारा दुकान का अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, दीवानी न्यायालय कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक–20.02.20 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

दिनांक– 20.02.20

(अखिलेश कुमार पाठक) 20.2.20
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला जज कोर्ट नं0–4
कानपुर देहात।

(10)

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद न्यायाधीश महोदय, कानपुर देहात के आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर में स्थित साइकिल स्टैण्ड, जलपान गृह एवं तीन दुकानों को ठेके पर उठाया जाना है जिसकें सम्बन्ध में इच्छुक व्यक्तियों से सील बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।उपरोक्त साइकिल स्टैण्ड, जलपान गृह एवं तीन दुकानों को ठेके पर उठाने की प्रकिया में निविदा की शर्तो कों दृष्टिगत रखतें हुए उपयुक्त पात्र व्यक्ति सील बन्द निविदा के माध्यम से नियमानुसार भाग ले सकते है। सील बन्द निविदाओं को समिति के सदस्यों व निविदादाताओं के समक्ष दिनांक–13.03.20 को सांयकाल–4.00 बजें दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात में खोला जायेगा। निविदा की शर्तो को केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात के कार्यालय एवं नजारत की सूचना पट से किसी भी कार्यदिवस में प्रातः10.00 से 5.00 बजें तक अवलोकित कर सकते है।

इसके साथ ही निविदा की सूचना तथा शर्ते जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के वेबसाइट –https://districts.ecourts.gov.in/kanpurdehat पर भी उपलब्ध है।

आज्ञा से,

कृते जनपद न्यायाधीश,
कानपुर देहात। 20.2.20